राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

सं0 जीएसआर/2/2012/एसटीजीएमपी/डीईईडीयूसी/आर.यू.-III

मध्य प्रदेश राज्य के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल से अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए तकनीकी शिक्षा में अयोग्यता (NFTE) नियम हटवाने के संबंध में आयोग के माननीय अध्यक्ष, डा0 रामेश्वर उरांव के समक्ष दिनांक 04-08-2015 को हुई बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक की तिथि- 04.08.2015

बैठक में उपस्थित- परिशिष्ट-क

प्रकरण में दिनांक 01-11-2012 को आयोग के समक्ष हुई बैठक के अनुसरण में आयोग ने महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश को दिनांक 25.06.2013 को पत्र लिखा कि अनुसूचित जनजाति के छात्रों की तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने की कथित समस्या पर कार्यान्वित राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल के अध्यादेश (Ordinance) सं0 04 के पैरा क्रमांक 5. 3 नियम पर विचार/निर्णय करें ताकि अनुसूचित जनजाति के छात्र आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सके और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सके। साथ ही यह भी नीति बनायी जाए कि इस वर्ग के कमजोर छात्रों को अलग से कोचिंग की भी व्यवस्था हो ताकि वे अपने में सुधार ला सके। प्रत्युत्तर में तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग, मध्य प्रदेश ने पत्र दिनांक 03.06.2013 (कापी संलग्न) ने आयोग को अवगत करवाया कि उक्त प्रकरण माननीय राज्यपाल, मध्य प्रदेश की अध्यक्षता में आयोजित विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 88वीं बैठक दिनांक 24. 04.2013 में रखा गया एवं समन्वय समिति की अनुशंसा अनुसार स्नातक/स्नातकोत्तर एवं पत्रोपाधि पाठ्यक्रमों में एनएफटीई के नियम में एक बार छूट प्रदान करने की अनुशंसा को मान्य किया गया तथा दो अतिरिक्त अनुकंपा अवसर प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया जिसे भविष्य में पूर्वोदाहरण नहीं माना जाएगा।

तदोपरान्त आयोग को (1) श्री सुखदेव सिंह गोंड, इंदौर (मध्य प्रदेश) एवं अन्य छात्रगण का अभ्यावेदन दिनांक 05.01.2015, 13.04.2015 एवं 01.06.2015 (2) श्री हेमन्त कुमार मालवीय, संभागीय अध्यक्ष, म.प्र. अनुसूचित जाति-जनजाति छात्र संघ, शाखा इन्दौर का अभ्यावेदन दिनांक 13.04.2015 और (3) सुश्री शोभा ओझा, प्रेसीडेंट, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस का पत्र दिनांक 12.05.2015 प्राप्त हुए। छात्रों ने नवीनतम अभ्यावेदनों में आरोपित किया है कि-राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों के हित में अभी तक कोई भी कार्रवाही नहीं की गई और 25.04.2015 से प्रारंभ होने वाली परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति छात्रों की संख्या 8900 हो गई है।

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आयोग के माननीय अध्यक्ष द्वारा मामले पर पुनः चर्चा हेतु प्रधान सचिव तकनीक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन तथा कुलपति राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ दिनांक 04.08.2015 बैठक सुनिश्चित की।

दिनांक 04.08.2015 को निदेशक, तकनीक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन तथा परीक्षा नियंत्रक, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की ओर से आयोग के समक्ष उपस्थित हुए तथा पत्र सं0 1382/560/2015/बयालीस(1) दिनांक 10.07.2015 (कापी संलग्न) के द्वारा आयोग को अवगत कराया कि **विश्वविद्यालय की समन्वय समिति की 90वीं बैठक दिनांक 26.06.2015 में निर्णय लिया गया कि "वर्तमान में लंबित एनएफटीई के प्रकरणों से संबंधित छात्रों को 02 अनुकम्पा अवसर और प्रदान किए जाएं तथा उन्हें यह अवगत करा दिया जाए कि यह अंतिम अवसर है। भविष्य में इस अवसर को उदाहरण के रूप में मान्य नहीं किया जाए।"**

आयोग ने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के उपरोक्त निर्णय को सराहते हुए छात्रों को कहा कि वे 7वें एवं 8वें सेमस्टर में दिए गए अवसर के अनुसार सेमस्टर को उत्तीर्ण करने हेतु मेहनत करते हुए परीक्षा में बैठें तथा तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग तथा राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को सलाह दी कि छात्रों को कोर्स पूरा करने हेतु अतिरिक्त कक्षाएं/पर्यवेक्षण करवाने की व्यवस्था करें।

रामेश्वर उरांव

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट–क

सं0 जीएसआर/2/2012/एसटीजीएमपी/डीईईडीयूसी/आर.यू.–III

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

<table>
<tr><td>1.</td><td>डा0 रामेश्वर उरांव,</td><td>अध्यक्ष</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>श्रीमती के0डी0 बन्सौर</td><td>निदेशक</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>श्री एच0आर0 मीना</td><td>वरिष्ठ अन्वेषक</td></tr>
<tr><td colspan="3">मध्य प्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>डा0 आशीष डोंगरे</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">राजीव गांधी प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>डा0 ए.के. सिंह</td><td>परीक्षा नियंत्रक</td></tr>
<tr><td colspan="3">अभ्यावेदक</td></tr>
<tr><td>1</td><td>श्री सुखदेव सिंह गोंड</td><td></td></tr>
</table>